



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2025 ई0 (कार्तिक 24, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-46

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	रु0 3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	863—867	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	355—356	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	21—23	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	433—438	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग-1

अधिसूचना

नियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-60 नो-बी / XXXVI-A-1/2025-08 नो-बी / 2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री भूपेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय, हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री भूपेश कुमार शर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 60 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 30, 2025

No. 60 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Bhupesh Kumar Sharma, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **District Headquarter Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Bhupesh Kumar Sharma** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-61 नो-बी / XXXVI-A-1/2025-08 नो-बी / 2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री विश्वास कुमार, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये जिला मुख्यालय, हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री विश्वास कुमार का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 61 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 30, 2025

No. 61 No-B/XXXVI-A-1/2025-08 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Vishwas Kumar, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **District Headquarter Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Vishwas Kumar** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-63 नो-बी / XXXVI-A-1/2025-03 नो-बी / 2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्रीमती अलका शर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्रीमती अलका शर्मा, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 63 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATIONAppointment

October 30, 2025

No. 63 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mrs. Alka Sharma, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **Tehsil Roorkee, District Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mrs. Alka Sharma** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-64 नो-बी / XXXVI-A-1/2025-03 नो-बी / 2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री रवि मोहन कौशिक, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री रवि मोहन कौशिक का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 64 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATIONAppointment

October 30, 2025

No. 64 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Ravi Mohan Kaushik, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **Tehsil Roorkee, District Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Ravi Mohan Kaushik** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचनानियुक्ति

30 अक्टूबर, 2025 ई०

संख्या-65 नो-बी / XXXVI-A-1/2025-03 नो-बी / 2011-श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या-53, सन् 1952) की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री शीतल कालरा, अधिवक्ता को दिनांक 30-10-2025 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम-8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते हैं कि श्री शीतल कालरा, अधिवक्ता का नाम उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

प्रशान्त जोशी,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English Translation of Notification No. 65 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011, Dated- October 30, 2025.

NOTIFICATION

Appointment

October 30, 2025

No. 65 No-B/XXXVI-A-1/2025-03 No-B/2011--In exercise of the powers conferred by section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint **Mr. Sheetal Kalra, Advocate** as Notary for a period of five years with effect from 30-10-2025 for **Tehsil Roorkee, District Haridwar** and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of **Mr. Sheetal Kalra** be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

PRASHANT JOSHI,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1अधिसूचना

01 सितम्बर, 2025 ई०

संख्या-1076 / XXXI(1) / 2025 / PF- / 2025-एतद्वारा श्री प्रमोद कुमार, अनुभाग अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के अनुरोध पत्र दिनांक 25.08.2025 के क्रम में सम्यक विचारोपरांत मैन्युअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर के पैरा-250 एवं शासनादेश सं०-3497 दिनांक 06-11-1946 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार, अनुभाग अधिकारी के सेवा अभिलेखों में अंकित नाम श्री प्रमोद कुमार के स्थान पर "श्री प्रमोद कुमार रावत" अंकित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,

सचिव।

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड

विज्ञप्ति

06 नवम्बर, 2025 ई०

पत्रांक-522/तीन-117/च०सं०/2025-उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग-3, देहरादून के शासनादेश संख्या-730/XVIII(3)/2025-03(02)/2022, दिनांक 16 अक्टूबर 2025 से प्राप्त अनुमति के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम-1953 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-5, सन् 1954) (उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा-52 की उपधारा-(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं रंजना राजगुरु, संचालक चकबन्दी, उत्तराखण्ड देहरादून एतद्द्वारा विज्ञापित करती हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद उधमसिंहनगर, परगना व तहसील बाजपुर के निम्न ग्राम में चकबन्दी क्रियायें समाप्त हो गयी है :-

क्र०सं०	ग्राम का नाम	तहसील	परगना	जनपद
1	2	3	4	5
1-	मुन्डिया मनी	बाजपुर	बाजपुर	उधमसिंहनगर

रंजना राजगुरु,
संचालक, चकबन्दी/
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2025 ई0 (कार्तिक 24, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 230/XIV-a-45/Admin.A/2020--Ms. Ruchika Narula, Civil Judge (Jr. Div.), Sitarganj District U.S. Nagar is hereby sanctioned medical leave for 07 days w.e.f. 13.05.2025 to 19.05.2025.

NOTIFICATION

July 14, 2025

No. 235/XIV-a-38/Admin.A/2020--Ms. Shubhangi Gupta, Civil Judge (Jr. Div.), Almora is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 26.05.2025 to 06.06.2025 with permission to prefix 25.05.2025 as Sunday holiday and suffix 07.06.2025 & 08.06.2025 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

**कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।**

अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2025 ई0

संख्या-2416/नि0अनु0-भू0उप0परि0/बी-018/2025-आवास विभाग के शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10(आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 के क्रम में देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त किये जाने की दृष्टि से 02 दैनिक समाचार पत्रों राष्ट्रीय सहारा एवं उत्तर भारत लाईव में दिनांक 11.09.2025 को विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी। आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतएव, अब उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा 13(2) के अधीन शासनादेश संख्या 1311/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 26.7.2021 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए देहरादून महायोजना-2025 में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

क्र0सं0	मौजा	खसरा नम्बर	भूखण्ड का क्षेत्रफल	वर्तमान भू-उपयोग	भू-उपयोग परिवर्तन का प्रस्ताव
01	मौजा अस्थल, परगना परवादून तहसील सदर देहरादून	183, 184 मिन, 183 मि0जु0, 184 मि0जु0	5350 वर्गमीटर	कृषि	आवासीय

बंशीधर तिवारी,
उपाध्यक्ष।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 24, 1947 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, (पं०) पौड़ी गढ़वाल।

अधिसूचना

11 नवम्बर, 2025 ई०

संख्या 1021/अधिसूचना/पं०निर्वा०-2025—राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या—3121/रा०नि०आ०अनु०-2/4514/2025 दिनांक 11 नवम्बर 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में मैं स्वाति एस० भदौरिया, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला पौड़ी गढ़वाल की रिक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारणी के अनुसार सम्पन्न कराये जाने की घोषणा करती हूँ:-

क्षेत्र पंचायत का नाम	नाम निर्देशन पत्र जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1. खिसू 2. पाबौ 3. थलीसैण 4. नैनीडाण्डा 5. बीरोखाल 6. रिखणीखाल 7. एकेश्वर 8. पोखड़ा 9. यमकेश्वर 10. जयहरीखाल 11. दुगड़डा 12. द्वारीखाल 13. पौड़ी 14. कोट 15. कल्जीखाल	13.11.2025 एवं 14.11.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	15.11.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	16.11.2025 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 03:00 तक)	16.11.2025 (अपराह्न 03:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	20.11.2005 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	22.11.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

- उपरोक्त सूचना के अधीन सभी निर्वाचन अधिकारी सम्बन्धित रिक्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों, के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का (रिक्त पदों/स्थानों का आरक्षण सहित) पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना नामांकन के प्रथम दिनांक से पूर्व निर्गत करेंगे और उसकी प्रति जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को तत्काल प्रेषित करेंगे।
- रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के प्रत्याशियों के नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित विकासखण्ड मुख्यालयों पर (दिनांक 11.11.2025 से दिनांक 13.11.2025 तक) कार्यालय समय में तथा दिनांक 14.11.2025 को अपराह्न 03:00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।
- इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन-प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। रिक्त सदस्य ग्राम पंचायत एवं प्रधान ग्राम पंचायत के पदों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच करने व नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) मुख्यालय पर होगा। मतों की गणना क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) के मुख्यालय पर की जायेगी तथा परिणाम भी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर ही घोषित किया जायेगा।

स्वाति एस0 भदौरिया,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) गढ़वाल।

त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन-2025 हेतु पदों का विवरण।

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	सदस्य ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	प्रधान ग्राम पंचायत की संख्या	सदस्य क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या	सदस्य जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	खिर्सू	291	—	—	—
2	पाबौ	238	—	—	—
3	थलीसैण	498	1.सुनारगांव	—	—
4	नैनीडाडा	470	—	—	—
5	बीरोखाल	602	—	—	—
6	रिखणीखाल	496	1. सुलमोडी	—	—
7	एकेश्वर	461	1. पालकोट	—	—
8	पोखडा	241	1. कुण्ज	—	—
9	पौड़ी	349	—	—	—
10	कल्जीखाल	550	1.डांगी	—	—
11	कोट	380	—	—	—
12	जयहरीखाल	446	—	—	—
13	द्वारीखाल	402	—	—	—
14	यमकेश्वर	348	—	—	—
15	दुगडडा	311	—	—	—
	योग	6083	05	—	—

स्वाति एस0 भदौरिया,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी,
(पंचायत) गढ़वाल।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 नवम्बर, 2025 ई० (कार्तिक 24, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैं निजी कारणों से अपना नाम शिव प्रकाश SHIV PRAKASH से बदलकर अमर सिंह AMAR SINGH कर लिया है। भविष्य में मुझे अमर सिंह AMAR SINGH पुत्र स्व. श्री फूल सिंह नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शिव प्रकाश SHIV PRAKASH मौजूदा पुराना नाम

पुत्र स्व. श्री फूल सिंह

निवासी 364/6ए, गांधी नगर रुड़की, जिला हरिद्वार,

उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं० 973159134275 में त्रुटिवश मेरा नाम सौणी देवी (SAUNI DEVI) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम सोहनी देवी (SOHANI DEVI) है। जोकि मेरे पहचानपत्र संख्या HZH2001063 एवं मेरे पति के आर्मी अभिलेखों के ई-पी०पी०ओ० नं० 168197900149 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे सोहनी देवी (SOHANI DEVI) पत्नी स्व० प्रताप सिंह रौतेला के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सोहनी देवी (SOHANI DEVI)
पत्नी स्व० प्रताप सिंह रौतेला
निवासी—ग्राम पैठाणी पो० पैठाणी,
पैठाणी, चमोली, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 737935029765 में त्रुटिवश मेरा नाम रूपशा देवी गलत दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम रूबशा देवी (Rubsha Devi) है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100458956 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे रूबशा देवी पत्नी प्यार सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रूबशा देवी पत्नी प्यार सिंह
निवासी श्रीकोट, पोस्ट आफिस सिल्यास,
घनसाली, टिहरी गढ़वाल,
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नम्बर 727666827142 में त्रुटिवश मेरा नाम प्रांजल कौशिक (PRANCHAL KAUSHIK) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरा वास्तविक नाम प्रांजल कौशिक (PRANJAL KAUSHIK) है। जोकि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 25123596 एवं स्थाई निवास प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0100386135 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे प्रांजल कौशिक (PRANJAL KAUSHIK) पुत्र हरीश कौशिक के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रांजल कौशिक (PRANJAL KAUSHIK)
पुत्र हरीश कौशिक
निवासी—444/2द, राजेन्द्र नगर, शफीपुर,
रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधारकार्ड नं0 583777124297 में त्रुटिवश मेरा नाम—विनीता सिंह गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा सही नाम—विनिता है। जो मेरे हाईस्कूल प्रमाण—पत्र अनुक्रमांक नं0 2703869 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे विनिता पत्नी श्री प्रशांत कुमार सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनिता पत्नी श्री प्रशांत कुमार सिंह
निवासी—563/2, कांवली, द्वारिका पूरी,
इन्जीनियर्स एन्वलेव, जीएमएस रोड़,
देहरादून, उत्तराखण्ड—248001

सूचना

मेरे आधार कार्ड नंबर 981788189408 में मेरा नाम त्रुटिवश आशीष (ASHISH) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम भुवन कुमार (BHUVAN KUMAR) है जो मेरे हाई स्कूल अनुक्रमांक संख्या 23014728 में भी दर्ज है भविष्य में मुझे भुवन कुमार पुत्र अशोक कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

भुवन कुमार पुत्र अशोक कुमार
निवासी मोहल्ला कडच्छ लेदर फैक्ट्री
ज्वालापुर हरिद्वार।

सूचना

मैं, KAJAL RAWAT मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक—25108939 व इण्टरमीडिएट अनुक्रमांक—25606057 में, त्रुटिवश मेरे पिता का नाम—LATE ANILRAJ SINGH RAWAT गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पिता का सही नाम—ANILRAJ SINGH RAWAT है। भविष्य में मुझे KAJAL RAWAT D/O ANILRAJ SINGH RAWAT के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

KAJAL RAWAT D/O ANILRAJ SINGH RAWAT
निवासी—एच0.3 सर्वेऑफ इंडिया, हाथीबड़कला,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मैं राजेन्द्र पुत्र स्व० दलीप सिंह निवासी सेवलाकलां माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड। मेरे पुत्र श्रेयांश कुमार (Shriyansh Kumar) कक्षा 10, वर्ष 2022-23 अनुक्रमांक 25108875, सेंट मेरी कान्वेंट सेकेण्डरी स्कूल के विद्यालय अभिलेखों में मेरा नाम त्रुटिवश राजेन्द्र कुमार (Rajendra Kumar) गलत दर्ज है। जबकि मेरा सही नाम राजेन्द्र (Rajendra) है। भविष्य में मुझे सही नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राजेन्द्र पुत्र स्व० दलीप सिंह
निवासी सेवलाकलां माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 527587621465 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम विहू शर्मा (Veehu Sharma) दर्ज हो गया है, जोकि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम शिवन्या शर्मा (Shivanya Sharma) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. B202505900690003020 में भी दर्ज हैं। भविष्य में मेरी पुत्री को शिवन्या शर्मा (Shivanya Sharma) पुत्री विनीता शर्मा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनीता शर्मा पत्नी राहुल शर्मा निवासी
गाँव-उल्हेड़ा, पोस्ट-गुरुकुल नारसन,
उल्हेड़ा, रुडकी, उल्हेड़ा, हरिद्वार,
गुरुकुल नरसं, उत्तराखण्ड, 247670

सूचना

मैं निजी कारणों से अपना नाम Krish Sahdev से बदलकर Vasu Sahdev कर लिया है। भविष्य में मुझे Vasu Sahdev S/o Powan Sahdev के नाम से जाना पहचाना और पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Krish Sahdev (मौजूदा पुराना नाम)
S/o Pawan Sahdev
निवासी- 116 पूर्वी अंबर तालाब रुडकी,
जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नम्बर 761102049132 में मेरा नाम अभिषेक कुमार दर्ज है। जो गलत है वास्तविक नाम शुभम कुमार (SHUBHAM KUMAR) (हाईस्कूल प्रमाणपत्र अनुक्रमांक 22014205 के अनुसार) है भविष्य में मुझे शुभम कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी ओसपुर नया लक्सर हरिद्वार के नाम से जाना जावे।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

शुभम कुमार पुत्र रामगोपाल
निवासी ओसपुर नया लक्सर हरिद्वार

सूचना

मेरी पुत्री का आधार कार्ड न. 3621 1737 5672 में त्रुटिवश उसका नाम निव्या (NIVYA) दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अनन्या कुमारी (ANANYA KUMARI) है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० BR7082 में भी दर्ज है, भविष्य में मेरी पुत्री को अनन्या कुमारी (ANANYA KUMARI) पुत्री श्रीमति पूनम पत्नी उत्तम सिंह निवासी— 356, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधा मंडी हरिद्वार उत्तराखंड पिन कोड— 249401 के जाना पहचाना व पुकारा जाये, समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है।

श्रीमति पूनम पत्नी उत्तम सिंह
निवासी— 356, इंडस्ट्रियल एरिया
लोधा मंडी हरिद्वार उत्तराखंड
मो.न. 7900552257

सूचना

मेरे आधार कार्ड संख्या 6042 87 14 0587 में त्रुटि वश मेरा नाम सोनाक्षी दर्ज हो गया है। मेरा सही व वास्तविक नाम हाईस्कूल की अंकतालिका अनुक्रमांक संख्या 0015645 में भी पूजा वर्मा है। भविष्य में पूजा वर्मा (Pooja Verma) के नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

पूजा वर्मा पत्नी विशाल चौधरी
निवासी ग्राम कुमराडा थाना मंगलौर जिला हरिद्वार

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 9264 8563 5424 में त्रुटिवश मेरा नाम पैन कार्ड दर्ज है। जबकि मेरा सही नाम विरेन्द्र सिंह खन्ना है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विरेन्द्र सिंह खन्ना पुत्र स्व सुरजन सिंह खन्ना
ग्राम मंझगांव तहसील चकराता देहरादून।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं. 296176031227 में त्रुटिवश उसका नाम अजली (AJALI) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम अंजली (ANJALI) है। जोकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० 12 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को अंजली (ANJALI) पुत्री राकेश सिंह के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

राकेश सिंह
निवासी-19, कंडा बदियर, बडियार
गढ़ टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नंबर 878447581333 में उसका नाम रिया (RIYA ANSARI) अंसारी दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम रिया अंसारी (RIYA ANSARI) से बदलकर रिजा अंसारी (RIZA ANSARI) कर लिया है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या B-2018:5-07777-000062 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को रिजा अंसारी (RIZA ANSARI) D/o FARMAN के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

FARMAN
निवासी पनियाला चंदापुर रुड़की जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड।